पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 298/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.09.2024

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 24.09.2024, जनपद आजमगढ़।

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 24.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है-

थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत 70 किलोग्राम प्रतिन्धित पशु का मांस छोडकर भागने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल तथा उसका साथी गिरफ्तार; 01 देशी तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, 01 मोबाइल फोन (रेडमी), 01 मोटर साइकिल, 700/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त 02 चाकू, बरामद।

पूर्व की घटना- दिनांक 21.09.2024 को वादी मुकदमा रमेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी गौरी नरायनपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ वर्तमान ग्राम प्रधान गौरीनरायनपुर द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील, 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन, 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद समस्त निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ, छुट्टा प्रतिबन्धित पशुओ को बेचने के उद्देश्य से काटकर एंव उनके मांस को बोरी मे भरकर मोटरसाइकिल से ले जा रहे थे कि ग्रामवासियो द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया गया परन्तु अभियुक्त वसीम व नियाज मोटरसाइकिल से असलहा लहराते हुए भाग गये तथा अभियुक्त मोहम्मद महमूद पकड़ा गया था, जो अन्धेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया तथा प्रतिबन्धित पश के मांस से भरी 01 बोरी बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 268/2024 धारा 3/5/8 गो-वध निवारण अधिनियम बनाम 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3.नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद समस्त निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ के विरूद्ध पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ विवेचना के क्रम में दिनांक 21.09.2024 को अभियुक्त मोहम्मद महमूद पुत्र अब्दुल जलील निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को आजमपुर पुलिया से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

मुठभेड का विवरण– आज दिनांक 24-09-2024 को प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय मय हमराह क्षेत्रभ्रमण के दौरान चक फरेन्दा में मौजूद थे कि उ0नि0 जावेद अख्तर ने सूचना दिया कि मोतीगंज बाजार में 01 मोटर साइकिल पर सवार 02 व्यक्ति तेज गति से आते हुए दिखाई दिए जिन्हे रोकने का प्रयास किया परन्तु नही रूके और बलाई की तरफ जा रहे है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर मय हमराह चकफरेन्दा चौराहा से निगरानी करते हुए आगे बढ़ा तथा फरेन्दा मोड़ के पास 01 मोटरसाइकिल सवार का पीछा करते हुये उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह आते दिखाई दिये। प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर मय हमराह द्वारा मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार सामने से पुलिस बल को देखकर अपनी मोटरसाइकिल बायी तरफ मोड़कर भागने के प्रयास मे गिर गये तथा 01 बदमाश गौरी नरायनपुर गांव की तरफ भागते हुए पीछा करने वाले पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियन्त्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश 1-नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ रवाना किया गया, तथा अभियुक्त वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को मौके से समय करीब 02:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ मौके से 01 देशी तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 700/- रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन (रेडमी), 01 मोटर साइकिल (स्पलेन्डर), 02 चाकू (घटना में प्रयुक्त) बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कन्धरापुर पर अभियुक्त नियाजूद्दीन उर्फ मोटू के विरुद्ध मु0अ0सं0- 271/2024 धारा- 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त वसीम के विरुद्ध मु0अ0सं0- 272/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0- 271/2024 धारा- 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़। (अभियुक्त नियाजूद्दीन उर्फ मोटू के विरुद्ध)

2- मु0अ0सं0- 272/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़। (अभियुक्त वसीम के विरूद्ध)

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर छुट्टा/आवारा प्रतिबन्धित पशुओ के मांस को बेचने के उद्देश्य से पकड़ कर, वध करके मांस को बेचता है, तथा रात्रि में पशुओं की चोरी का कार्य भी करते है।

बरामदगी– 01 देशी तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 700/- रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन (रेडमी), 01 मोटर साइकिल (स्पलेन्डर), 02 चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नियाजूद्दीन उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष। (घायल)

2. वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. नियाजूद्दीन उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष।

1. मु0अ0सं0 298/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट. थाना बिलरियागंज
2. मु0अ0सं0 13/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना बिलरियागंज
3. मु0अ0सं0 92/15 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बिलरियागंज
4. मु0अ0सं0.268/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम थाना कन्धरापुर
5. मु0अ0सं0 271/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

2. वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ।

1. मु0अ0सं0.268/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 272/24 धारा 4/25 आर्स एक्ट थाना कन्धरापुर।
3. मु0अ0सं 260/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना कन्धरापुर।
4. मु0अ0स0 278/2024 धारा 379 IPC थाना निजामाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर रुद्रभान पाण्डेय, उ0नि0 जावेद अख्तर, का0 अखिलेश कुमार, का0 सोनू कुमार कन्नौजिया, का0 दीपक कुमार सिंह, का0 कृष्ण कुमार पटेल, का0 विजय कुमार यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।